तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक 8(16)त.शि / 2019

जयपुर, दिनांक | 4 JUN 2022

-:आदेश:-

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अभिशंषानुसार राज्यपाल महोदय निम्न अभ्यर्थियों को राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम 2010 यथा संशोधित 2017 (अभियांत्रिकी) के अंतर्गत प्रवक्ता—रसायन के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेत्तन भत्तों पर Subject to police & degree verification पर नियुक्त कर (Provisional) उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है—

क्र. स.		सं0		सं0		सं0		सं0		सं0		सं0		सं0		कटैगरी	जन्मतिथि	पदस्थापन स्थान	
1.	505484		सुश्री नेहा सैनी पुत्री जयप्रकाश सैनी, छोटा बस स्टैण्ड के पास, वार्ड़ नं.1 नवलगढ़, झुन्झुनू—333042	BC,WE	01.12.1992	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, श्रीगंगानगर													
2.	517182	M-02	सुश्री नेहा कुमारी शर्मा पुत्री धनलाल शर्मा, ग्राम—सिकन्दरपुर, पोस्ट—नाहिड़ा, तह.—महवा, दौसा—322240	GE,WE, EWS	01.07.1998	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भरतपुर													
3.	505954	M-03	श्री परमेश चन्द शर्मा पुत्र रामवतार शर्मा, मु.पो.—चला, वार्ड न—9, बबूलो का मोहल्ला, तह0— नीमकाथाना, सीकर— 332706	GE	15.10.1982	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, पिलानी(झुन्झुनू)													
4.	503226	M-04	श्री हंसराज पोसवाल पुत्र बद्री प्रसाद पोसवाल, ग्राम—बागावांस चौरासी, तह0— विराटनगर, जिला—जयपुर—303119	GE	05.04,1996	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जैसलमेर													
5.	520277	M-05	- 4 - 4 -	BC	13.10.1997	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बारां													

उपरोक्त अभ्यर्थियों को प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन दी जा रही है:--

1. स्नात्तकोत्तर अभ्यर्थियों को रनिंग पे—बैण्ड संख्या—3 (15600—39100) लेवल AL-9A for Master Degree एवं स्नात्तकोत्तर (With NET, SLET, SET) अभ्यर्थियों को रनिंग पे—बैण्ड संख्या—3 (15600—39100) लेवल AL-10 for Master Degree पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

- 2. उक्त अभ्यर्थियों को 2 वर्ष तक परिवीक्षाकाल के लिये मासिक स्थिर परिलाभ रूपये रनात्तकोत्तर अभ्यर्थियों को 39300/— एवं स्नात्तकोत्तर (With NET, SLET, SET) अभ्यर्थियों को 40000/— पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।
- 3. परिवीक्षाकाल में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे, अर्थात परिवीक्षाकाल को वेतन वृद्धि के लिये नहीं गिना जायेगा।
- 4. यह नियुक्ति अधीक्षक, चिकित्सालय अनुलग्नक मेडिकल कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 15(1)डीओपी/ए-11/74 दिनांक 1.1.75 द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी एवं तत्पश्चात ही कार्यग्रहण कर सकेंगे।
- 5. कार्मिक(क—2) विभाग के परिपत्र क्रमांक पं.1(5)डिओपी / ए—2 / 17 दिनांक 15.05.2018 के अर्न्तगत संबंधित अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत एटैस्टेशन फार्म एवं स्व—घोषणा के आधार पर दी जाएगी (प्रपत्र संलग्न)। पुलिस विभाग द्वारा प्रेषित चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरित तथ्य पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किए जाने का अधिकार होगा।
- 6. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को स्व घोषणा अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। (प्रपत्र संलग्न)
- 7. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमित प्रदान नहीं की जावेगी। दिनांक 01.06.2022 को अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, परन्तु प्रथम प्रसव से एक जीवित संतान है एवं पश्चातवर्ती प्रसव में एक से अधिक संतान होने पर ऐसी संतानों को एक इकाई ही माना जावेगा।(प्रपत्र संलग्न)
- 8. परिवीक्षाकाल में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
- 9. पेंशन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों / आदेशों / परिपत्र के प्रावधान लागू होंगे
- 10. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 11. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होगें परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किए जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 12. उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जांच के अध्याधीन रहेगी।
- 13. पदस्थापन आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में पदस्थापन स्थान पर अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने पर इनकी नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझे जायेगे।

आज्ञा सं, (राजेश कुमार चौहान) संयुक्त शासन सचिव त.शि.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, तकनीकी शिक्षा।
- 2. निजी सचिव, शासन सचिव, तकनकी शिक्षा।
- 3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र एफ 7(02)(06)भर्ती क/ Lect./त.शि.वि./2020-21/30 दिनांक 10.05.2022 के क्रम में।
- 4. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान जोधपुर।
- 5. संबंधित संस्था प्रधान को भेजकर लेख है कि कृपया उपरोक्त अभ्यर्थी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यभार ग्रहण करवाया जावें एवं उक्त दस्तावेजो सहित कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवावें।
- 6. संबंधित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अधीक्षक चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करें।

7. निजी / रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव त.शि.

-::घोषणा पत्र::-

में निवासी		पुत्र / पुत्री / पत	नी श्री
. शपथ पूर्वक		ता / करती हू कि मेरा चयन तकनीकी प्रकार से घोषणा करता / करती हूं कि:-	शिक्षा विभाग में प्रवक्ता –
	क 31.05.20 ानुसार है:—	002 तक मेरे बच्चों(पुत्र / पुत्री) की र	गंख्याथी, जिसका विवरण
	क्र.स.	नाम	जन्मतिथि
		। 02 को अथवा इसक पश्चात मेरे बच्चों(ए च्चों (पुत्र / पुत्री) की कुल संख्या] गुत्र / पुत्री) की संख्या में वृद्धि हुई है एवं है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–
	क्र.स.	नाम	जन्मतिथि

3. यह कि उक्त तथ्य मेरी जानकारी एवं अभिलेख के आधार पर सही है एवं इनके सत्य होने की घोषणा करता / करती हूं।

घोषणाकर्त्ता

::-वचनबन्ध प्रपत्र::-

Ĥ	पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी	
वचनबद्ध हूँ कि मैं धूम्रपान एवं गुटखे क	। सेवन नहीं करता/करती हूँ।

वचनबद्धकर्ता

::-शपथ पत्र::-

书	पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री						
निवासी							
शपथपूर्वक १	घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं						
किया गया	है एवं न ही मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लिखत है।						

शपथग्रहिता

::-सत्यापन::-

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है, इसमें मैने कोई तथ्य छिपाया नहीं है, यदि उक्त तथ्य/सूचना असत्य पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकती है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

शपथग्रहिता

de

ATTESTATION FORM

"Warning"

Affix signed passport size (5 cms. x 7 cms.)
Approx. copy of recent photograph

- The furnishing of false information or suppression of any the government factual information in the attestation form would be a disqualification, and is likely to render the candidate unfit for employment under the government.
- 2. If detained, arrested, prosecuted, bound down, fined, convicted, debarred, acquitted, etc. Subsequent to the completion and submission of this form, the details should be communicated immediately to the authorities to whom the attestation form has been sent earlier, falling which it will be deemed to be a suppression of factual information.
- 3. If the fact that false information has been furnished or that there has been suppression of any factual information in the Attestation Form, comes to notice at any time during the service of a person, his services would be liable to be terminated.
- 1. Name in full (in block capitals letters) with aliases, if any place indicate if you have added or dropped in any stage any part of your name of surname.

2.	Present address in full (i.e. village, Thana and	
	District or House No.	
	Lane/Street/ Road and Town)	
3.	(a) Permanent home	
	address in full (i.e. village,	
	Thana and District or	
ł	House No. Lane/Street/	
	Road and Town have of	
	District Headquarters)	
	(b) If originally a resident	
	of Pakistan/Bangladesh	
	(erstwhile East Pakistan),	
	the address in that	
	country and the date of	
	migration to Indian	
	Union.	

4. Particulars of places (with period of residence) where you have resided for more than one year at a time during the preceding five years. In case of stay abroad (including Pakistan), particulars of all places where you have resided for more than one year after attaining the age of 21 years should be given:

From	То	Residential address in full (i.e. village, Thana and District or House No. Lane/Street/Road and Town)	Headquarters of the place mentioned in
		·	·

5.	Name (in full & aliases, if any)	Nationality (by Birth & or by domicile)	Place of birth	Occupation (if employed give designation & official address.)	Present postal address (if dead, give last Address)	Permanent Home Address
(i) Father						·
(ii) Mother						,
Husband						
(iv) Brother(s)						
(v) Sister(s)						

1 .	5 (a) Information to be furnished with regard to sons and / or daughters in case they are studying/living in a foreign country:								
Name	Nationality (By birth and or by Domicile)	Place of Birth	Country in which studying/studying/living with Full Address	Date from which Studying/Living in the country mentioned in the previous column					

6. Aadhar Card No. :

7. Nationality :

8. (a) Date of Birth :

(b) Present Age :

(c) Age of matriculation :

9.	(a) Place of Birth, District, and	:
	State in which situated	

(b) District and State to which you belong

(c) District and State to which your father originally belong

10. (a)Your religion

(b)Are you a member of a SC/ST? Answer

Yes or No

11. Educational qualification showing place of education with years in schools and colleges since 15 years of age :

Name of Address	School/college	with	Full	Date of entering	Date of leaving	Examination passed
_						
						,

12.(a) Are you holding or have any time	
held an appointment under the Central	•
Govt. or State Govt. or a quasi-Govt.	
body or an Autonomous body or a	
public undertaking, or a private firm or	
institution ? If so, give full particulars	
with dates of employment up to date	

Period		Designation, Nature of emp	emoluments	&	Full Na address	me/ of	Reasons leaving	for previous
From	То	i rigida e or emp	` '		employer		service	previous
	<u> </u>							

(b) If the previous employment was under the Govt. of India/State Govt./an undertaking owned or controlled by the Govt. of India or a State Govt. an Autonomous Body/University/Local Body.

If you had left service on giving notice as provided in relevant rules or were any disciplinary proceeding framed against you, or had you been called upon to explain your conduct in any matter at the time you gave notice of termination of service or at a subsequent date before your service actually terminated?

13.(i)	(a)	Have you ever been arrested ?	Yes/No
	(b)	Have you ever been prosecuted ?	Yes/No
	(c)	Have you ever been kept under detention ?	Yes/No
	(d)	Have you ever been bound down?	Yes/No
	(e)	Have you ever been fined by a Court of Law?	Yes/No
	(f)	Have you ever been convicted by a Court of Law for	
		any offence ?	Yes/No
	(g)	Have you ever been debarred from any Examination or restricted by any University or any other educational authority/institution?	Yes/No
	(h)	Have you ever been debarred/disqualified by any Public Service Commission/Staff Selection commission for any of its examination/selection?	Yes/No
	(i)	Is any case pending against you in any Court of Law at the time of filling up this Attestation Form?	Yes/No

		a		,		
	(j)	Is any case pending against you educational authority/institution Attestation Form?	at the time of filling up this	s/No		
	(k)	(k) Whether discharged/expelled/withdrawn from any training /institution under the Government of otherwise? Yes/No				
(ii)		If the answer to any of the above mentioned question is "yes" (give ful				
		particulars of the case/arrest/detention/fine/conviction/punishment, etc.				
		and/or the nature of the case pending in the Court/University/Educational				
		Authority, etc. at the time of filling up this Attestation Form.				
ГОИ	ΓΕ: i) ii)	Please also see the "Warning" a Specific answers to each of the "yes" or "no" as the case may be	questions should be given by s			
14.	Name of two responsible persons of your locality or two references to whom you					
	are known: (2)					
,			·			
	vledge	tify that the foregoing information and belief. I am not aware of ar mployment under Government.	•	impair m y		
	Date	:				
				i		

IDENTITY CERTIFICATE (Certificate to be signed by any of the following)

i	Gazett	ed Officer of Central Government or State Govt ;			
ii	Members of Parliament or State Legislative belonging to the constituency where the candidate or his parent/guardians ordinarily resident;				
iii	Sub-Di	ivisional Magistrate/Officers ;			
iv	Tehsilo	Tehsildars or Naib Tehsildars authorized to exercise magisterial power;			
v	Principal/Headmaster of the recognized School/College/Institution where the candidate studied last;				
vi	Block Development Officer ;				
	Certified that I have known Shri/Smt./KumSon/Daughter of Shri				
		Yearsmonths			
and th		ne best of my knowledge and belief the particulars furnished by him/her			
		Signature Designation or Status & Address			
Place: Date:					
 -		TO BE FILLED BY OFFICE			
	i)	Name, Designation and Full Address of the appointment authority.			
	ii)	Post for which the candidate is being considered.			